

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक: सामान्य/क्रय/के.भ./1/2021-22/82851-866 दिनांक: 24/02/2021

:: ई-निविदा सूचना ::

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर के अधीन राज्य की केन्द्रीय/जिला कारागृह एवं इनके अधीनस्थ उप कारागृहों, महिला बंदी सुधारगृह तथा उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर में निरुद्ध बन्दियों की भोजन व्यवस्था हेतु दर अनुबंध किये जाने के लिए ई-बोली आमंत्रित की जाती है।

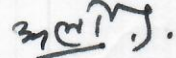
ई-बोली दिनांक 26/02/2021 को सांयकाल 05.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है:-

1.	बोली दिनांक 26.02.2021 को 5.00 PM से डाउनलोड एवं प्रस्तुत की जा सकती है।
2.	बोली प्रस्तुत की अन्तिम तिथि एवं समय का चयन "अनुसूची प" के अनुसार नियत है।
3.	बोली प्रतिभूति घोषणा-पत्र, बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के ई-ग्रास चालान जमा कराने की तिथि एवं समय का चयन "अनुसूची प" के अनुसार नियत है।
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय : निर्धारित अन्तिम तिथि के आगामी कार्य दिवस को 1.00 PM पर खोली जावेगी।
5.	निविदा महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर पर खोली जावेगी।

नोट:- बोली प्रस्तुत की अन्तिम तिथि एवं समय का चयन "अनुसूची प" के अनुसार नियत है, इसके उपरान्त निविदा अपलोड नहीं की जा सकेगी, जिससे सूचित रहे।

बोली प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 1000/- प्रति कारागृह/प्रति बोली एवं बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा-पत्र(अनुसूची "ख" अनुसार) तथा ई-बोली प्रक्रिया शुल्क के ई-ग्रास चालान की प्रति निर्धारित दिनांक व समय को महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर के कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराने होंगे।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तें एवं अन्य विवरण बोली की वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> अथवा विभागीय वेबसाईट <http://www.rajprisons.nic.in> अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं।



(आलोक कुमार वशिष्ठ)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सामान्य/क्रय/के.भ./1/2021-22/

दिनांक:

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव.....।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंडल कार्यालय (समस्त)।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियां विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान को सूचनार्थ करने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई-बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा वृहत् परिचालन वाले एक अखिल भारतीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 20 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
6. प्रभारी अधिकारी भण्डार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि ई-बोली को एसपीपीपी एवं ई-प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

कारागृहों की सूची

(अनुमानित श्रमिक एवं अश्रमिक बन्दी संख्या, समस्त भोजन सामग्रियों की अनुमानित कुल खरीद राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि) वर्ष 2021-22

निविदा क्रम संख्या	निविदा कारागृह का नाम (दर अनुबन्ध हेतु कारागृह समूह)	समस्त सामग्रियों की अनुमानित कुल खरीद राशि रु.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दोपहर 1.00 पीएम तक नियत है:-	घोषणा-पत्र, बोली शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के चालान जमा कराने की तिथि को 5.00पीएम तक नियत है:-
1	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर (ब.संख्या 1027) महिला बन्दी सुधारगृह अजमेर (ब. संख्या 40) सहित	17525475	18-03-2021	18-03-2021
2	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर (ब. संख्या 691) महिला बन्दी सुधारगृह भरतपुर (ब. संख्या 115) सहित	13238550	18-03-2021	18-03-2021
3	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर (ब.संख्या 948), जिला कारागृह, बीकानेर (ब.संख्या 432) एवं महिला बन्दी सुधारगृह बीकानेर (ब.संख्या 59) सहित	23635575	18-03-2021	18-03-2021
4	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर (ब.संख्या 1396) हेतु	22929300	18-03-2021	18-03-2021
5	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर (ब.संख्या 1450) महिला बन्दी सुधारगृह जोधपुर (ब. संख्या 74) सहित	25031700	18-03-2021	18-03-2021
6	केन्द्रीय कारागृह, कोटा (ब. संख्या 1373) महिला बन्दी सुधारगृह कोटा (ब. संख्या 28) सहित	23011425	18-03-2021	18-03-2021
7	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर (ब. संख्या 1132) महिला बन्दी सुधारगृह उदयपुर (ब. संख्या 51) सहित	19430775	18-03-2021	18-03-2021
8	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर हेतु	9887850	08-03-2021	08-03-2021
9	केन्द्रीय कारागृह, अलवर हेतु	14766075	18-03-2021	18-03-2021
10	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा	6668550	08-03-2021	08-03-2021
11	जिला कारागृह, झालावाड़ हेतु	7341975	08-03-2021	08-03-2021
12	जिला कारागृह, टोंक हेतु	4401900	08-03-2021	08-03-2021
13	जिला कारागृह, धोलपुर हेतु	5436675	08-03-2021	08-03-2021
14	जिला कारागृह, जयपुर हेतु	7259850	08-03-2021	08-03-2021
15	के.का. अजमेर के अधीनस्थ उप कारागृह, ब्यावर (ब.संख्या 104 हेतु	1898000	08-03-2021	08-03-2021
16	के.का. भरतपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, बयाना (ब.संख्या 98) तथा जीग (ब.संख्या 202) हेतु	5475000	08-03-2021	08-03-2021
17	के.का.बीकानेर के अधीनस्थ उप कारागृह, नोखा (ब.संख्या 36) हेतु	657000	08-03-2021	08-03-2021
18	के.का. जयपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, कोटपुतली (ब.संख्या 127) तथा सांभरलेक (ब.संख्या 87) हेतु	3905500	08-03-2021	08-03-2021
19	के.का.जोधपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, बिलाडा (ब.संख्या 63) तथा फलौदी (ब.संख्या 60) हेतु	2244750	08-03-2021	08-03-2021

20	के.का. कोटा के अधीनस्थ उप कारागृह, रामगंजमण्डी (ब.संख्या 52) तथा सांगौद (ब.संख्या 39) हेतु	1660750	08-03-2021	08-03-2021
21	के.का. उदयपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, झाडौल(ब.संख्या 73),कानौद (ब.संख्या 18), कोटडा (ब.संख्या 145), मावली (ब.संख्या 20) तथा सलूम्बर (ब.संख्या 58) हेतु	5730500	08-03-2021	08-03-2021
22	के.का. श्रीगंगानगर के अधीनस्थ उप कारागृह, श्रीकरणपुर (ब.संख्या 87), अनुपगढ (ब.संख्या 241), सूरतगढ (ब.संख्या 133) तथा रायसिंहनगर (ब.संख्या 82) हेतु	9909750	08-03-2021	08-03-2021
23	के.का. अलवर के अधीनस्थ उप कारागृह, बहरोड (ब.संख्या 71) एवं किशनगढवास (ब.संख्या 184) हेतु	4653750	08-03-2021	08-03-2021
24	जि.का. झालावाड के अधीनस्थ उप कारागृह, भवानीमण्डी (ब.संख्या 44) तथा अकलेरा (ब.संख्या 0) हेतु	803000	08-03-2021	08-03-2021
25	जि.का. टोंक के अधीनस्थ उप कारागृह, मालपुरा (ब.संख्या 57) हेतु	1040250	08-03-2021	08-03-2021
26	जि.का.बांसवाडा (ब.संख्या 271) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, कुशलगढ (ब.संख्या 35) हेतु	5584500	08-03-2021	08-03-2021
27	जि.का. बांरा (ब.संख्या 240) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छबडा (ब.संख्या 100) तथा उप कारागृह, अटरू (ब.संख्या 48) हेतु	7081000	08-03-2021	08-03-2021
28	जि.का. बाडमेर (ब.संख्या 169) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, बालोतरा (ब.संख्या 79) हेतु	4526000	08-03-2021	08-03-2021
29	जि.का. भीलवाडा (ब.संख्या 319) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, गंगापुर (ब.संख्या 38), जहाजपुर (ब.संख्या 18), माण्डलगढ (ब.संख्या 28), गुलाबपुरा (ब.संख्या 17) तथा शाहपुरा (ब.संख्या 25) हेतु	8121250	08-03-2021	08-03-2021
30	जि.का. बून्दी (ब.संख्या 234) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नैनवा (ब.संख्या 12) हेतु	4489500	08-03-2021	08-03-2021
31	जि.का. चित्तौडगढ (ब.संख्या 462) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, निम्बाहेड़ा (ब.संख्या 60), बैगू (ब.संख्या 36) तथा कपासन (ब.संख्या 35) हेतु	10822250	18-03-2021	18-03-2021
32	जि.का.चूरू (ब.संख्या 283) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, राजगढ(ब.संख्या 0)तथा रतनगढ (ब.संख्या 56) हेतु	6186750	08-03-2021	08-03-2021
33	जिला कारागृह, दौसा (ब.संख्या 177) तथा उप कारागृह, बांदीकुई (ब.संख्या 43) हेतु	4015000	08-03-2021	08-03-2021
34	जिला कारागृह,डूंगरपुर(ब.संख्या 133) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, सांगवाडा (ब.संख्या 86)हेतु	3996750	08-03-2021	08-03-2021
35	जि.का.सवाईमाधोपुर (ब.संख्या 92) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, गंगापुरसिटी (ब.संख्या 54) हेतु	2664500	08-03-2021	08-03-2021
36	जि.का.हनुमानगढ (ब.संख्या 462) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नोहर(ब.संख्या 85) एवं भादरा (ब.संख्या 24) हेतु	10420750	18-03-2021	18-03-2021
37	जिला कारागृह,जैसलमेर(ब.संख्या 115) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, पोकरण (ब.संख्या 27) हेतु	2591500	08-03-2021	08-03-2021
38	जिला कारागृह, जालौर (ब.संख्या 111) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीनमाल (ब.संख्या 77) तथा सांचौर (ब.संख्या 60) हेतु	4526000	08-03-2021	08-03-2021
39	जिला कारागृह, झुझुनू (ब.संख्या 242) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, खेतडी (ब.संख्या 25) हेतु	4872750	08-03-2021	08-03-2021
40	जिला कारागृह,करौली(ब.संख्या 144) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, हिण्डैनसिटी (ब.संख्या 65) हेतु	3814250	08-03-2021	08-03-2021

41	जिला कारागृह, नागौर (ब.संख्या 125) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, डीडवाना (ब.संख्या 29), मेड़तासिटी (ब.संख्या 169) तथा परबतसर (ब.संख्या 151) हेतु	8650500	08-03-2021	08-03-2021
42	जिला कारागृह, पाली (ब.संख्या 98) एवं अधीनस्थ किशोर बन्दी सुधारगृह जैतारण (पाली) (ब.संख्या 01), उप कारागृह, जैतारण (ब.संख्या 94), बाली (ब.संख्या 91) तथा सोजतसिटी (ब.संख्या 40) हेतु	5913000	08-03-2021	08-03-2021
43	जिला कारागृह, प्रतापगढ़ (ब.संख्या 346) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छोटीसादडी (ब.संख्या 11) हेतु	6515250	08-03-2021	08-03-2021
44	जिला कारागृह, राजसमंद (ब.संख्या 90) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीम (ब.संख्या 8)	1788500	08-03-2021	08-03-2021
45	जिला कारागृह, सीकर (ब.संख्या 286) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नीमकाथाना (ब.संख्या 64) एवं फतेहपुर (ब.संख्या 42) हेतु	7154000	08-03-2021	08-03-2021
46	जिला कारागृह, सिरोंही (ब.संख्या 285) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, आबूरोड (ब.संख्या 68) हेतु	6442250	08-03-2021	08-03-2021
47	उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर हेतु	894250	08-03-2021	08-03-2021
48	महिला बन्दी सुधारगृह जयपुर हेतु	1825000	08-03-2021	08-03-2021

नोट:-

1-कार्य निष्पादन प्रतिभूति (जमानता) राशि अनुमानित कुल खरीद राशि के 2.5 प्रतिशत राशि के बराबर होगी। 2-निविदा के साथ शामिल किये गये समस्त केन्द्रीय, जिला कारागृहों एवं अधीनस्थ उप कारागृहों पर कारागृह की मांग पत्रानुसार संबंधित कारागृह पर ही आपूर्ति देय होगी, जिसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क/परिवहन लागत देय नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

-: बोली की मुख्य शर्त :-

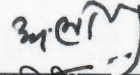
1. प्रत्येक निविदा कारागृह की बोली हेतु बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा-पत्र (अनुसूची "ख" अनुसार), बोली प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 1000/- प्रति निविदा कारागृह/प्रति बोली व प्रोसेसिंग फीस पृथक-पृथक देय होंगे।
2. ई-बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम ई-ग्रास चालान के द्वारा दी जायेगी।
3. ई-बोली के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की बोली प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशक आर.आई.एस.एल. के नाम ई-ग्रास चालान के द्वारा अलग से दी जायेगी।
 1. यदि बोली की लागत राशि रुपये 50.00 लाख से कम है -रुपये 500/-प्रति बिडर प्रति बोली
 2. यदि बोली की लागत राशि रुपये 50.00 लाख से अधिक है-रुपये 1000/- प्रति बिडर प्रति बोली
4. निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग-अलग ई-ग्रास चालान ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस के ई-ग्रास चालान एवं खाद्य सामग्री के नमूने(प्रति खाद्य सामग्री 50 ग्राम) जमा कराने होंगे। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा-पत्र, प्रोसेसिंग फीस एवं सैंपल के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटायी जावेगी।
5. क्वालिफाईंग (तकनीकी-वाणिज्यिक) बिड में योग्य पाये गये बोलीदाताओं की प्राईस बिड (वित्तीय बोली) क्वालीफाईड बिड खुलने की दिनांक से 10 कार्यालय दिवस में खोली जानी संभावित है। नवीनतम जानकारी के लिए उक्त वैबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।
6. जो बोलीदाता ई-बोली (E-Tender) में भाग लेना चाहते हैं सर्वप्रथम उन्हें वैबसाईट पर <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो बोलीदाता ऑन लाईन बोली में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट लेना होगा। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
7. जो बोलीदाता ई-बोली भोजन सामग्री आपूर्ति में भाग लेना चाहते हैं वे वांछित दस्तावेजों के साथ वैबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।
8. बोली के साथ बोलीदाता को वैध बिक्रीकर/जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं बिक्रीकर बकाया न होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र (इस संबंध में बोली परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 3(ii) देखें), भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध, अपेक्षित पंजीयन प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा पत्र (राशि रुपये 12.00 लाख तक के टर्न ओवर हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) तथा राशि रुपये 12.00 लाख से अधिक के टर्न ओवर हेतु अनुज्ञा पत्र (लाईसेन्स) की प्रमाणित प्रति ई-बोली के साथ स्कैन कर प्रस्तुत करने होंगे।
9. समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए।
10. दरों की वैधता-प्राईस बिड (वित्तीय बोली) खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।
11. इस बोली की अनुसूची "ख" के अनुसार निम्नानुसार दरों के अनुरूप दर अनुबन्ध किया जावेगा :-

आईटम दर वाले कारागृह	
1	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर (महिला बन्दी सुधारगृह अजमेर सहित)
2	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर (महिला बन्दी सुधारगृह भरतपुर सहित)
3	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर (जिला कारागृह बीकानेर एवं महिला बन्दी सुधारगृह बीकानेर सहित)
4	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
5	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर (महिला बन्दी सुधारगृह जोधपुर सहित)
6	केन्द्रीय कारागृह, कोटा (महिला बन्दी सुधारगृह कोटा सहित)
7	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर (महिला बन्दी सुधारगृह उदयपुर सहित)
8	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर
9	केन्द्रीय कारागृह, अलवर
10	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास(दौसा)
11	जिला कारागृह, झालावाड
12	जिला कारागृह, टोंक
13	जिला कारागृह, धौलपुर
14	जिला कारागृह, जयपुर
तथा निम्न कारागृहों हेतु सम्मिलित समुह उप कारागृहों सहित डाईट दर (कच्ची सामग्री ईंधन रहित) दी जानी होगी:-	
डाईट दर वाले कारागृह	
15	के.का.अजमेर के अधीनस्थ उप कारागृह, ब्यावर
16	के.का.भरतपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, बयाना तथा डीग
17	के.का.बीकानेर के अधीनस्थ उप कारागृह, नोखा
18	के.का.जयपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, कोटपुतली तथा सांभरलेक
19	के.का.जोधपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, बीलाडा तथा फलौदी
20	के.का.कोटा के अधीनस्थ उप कारागृह, रामगंजमण्डी तथा सांगौद
21	के.का.उदयपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, झाडौल, कानोड, कोटडा, मावली तथा सलूमबर
22	के.का.श्रीगंगानगर के अधीनस्थ उप कारागृह, श्रीकरणपुर, अनुपगढ, सूरतगढ तथा रायसिंहनगर
23	के.का.अलवर के अधीनस्थ उप कारागृह, बहरोड एवं किशनगढवास
24	जि.का.झालावाड़ के अधीनस्थ उप कारागृह, भवानीमण्डी तथा अकलेरा
25	जि.का.टोंक के अधीनस्थ उप कारागृह, मालपुरा
26	जि.का.बांसवाडा एवं अधीनस्थ उप कारागृह, कुशलगढ
27	जि.का.बांरा एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छबडा तथा उप कारागृह, अटरु
28	जि.का.बाडमेर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, बालौतरा
29	जि.का.भीलवाडा एवं अधीनस्थ उप कारागृह, गंगापुर, जहाजपुर, माण्डलगढ, गुलाबपुरा तथा शाहपुरा
30	जि.का.बून्दी एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नैनवा
31	जि.का.चित्तौडगढ एवं अधीनस्थ उप कारागृह, निम्बैहडा, बैंगू तथा कपासन
32	जि.का.चूरु एवं अधीनस्थ उप कारागृह, राजगढ तथा रतनगढ
33	जि.का.दौसा तथा उप कारागृह, बांदीकुई
34	जि.का.डूंगरपुर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, सांगवाडा
35	जि.का.सवाईमाधोपुर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, गंगापुरसिटी
36	जि.का.हनुमानगढ एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नोहर एवं भादरा
37	जि.का.जैसलमेर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, पोकरण

38	जि.का.जालौर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीनमाल तथा सांचौर
39	जि.का.झुन्झुनू एवं अधीनस्थ उप कारागृह, खेतडी
40	जि.का.करौली एवं अधीनस्थ उप कारागृह, हिण्डौनसिटी
41	जि.का.नागौर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, डीडवाना, मेडतासिटी तथा परबतसर
42	जि.का.पाली एवं अधीनस्थ किशोर बन्दी सुधारगृह जैतारण (पाली), उपकारागृह, जैतारण, बाली तथा सोजतसिटी
43	जि.का. प्रतापगढ़ एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छोटीसादडी
44	जि.का. राजसमंद एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीम
45	जि.का.सीकर एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नीमकाथाना एवं फतेहपुर
46	जि.का.सिरोही एवं अधीनस्थ उप कारागृह, आबूरोड
47	उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर
48	महिला बन्दी सुधारगृह जयपुर

12. वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुबंध अवधि तथा पुनरादेश अवधि में यदि किसी भी सामग्री की दरों में वृद्धि होती है तो विभाग द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी तथा बोलीदाता द्वारा जोड़ी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
13. अनुमानित क्रय की मात्रा विभागीय आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
14. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य संपादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपद्धत कर लिया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से तीन वर्ष से अनाधिक की कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।
15. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
16. विस्तृत शर्तों के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट— अ, ब, स, द एवं अनुसूची क, ख, ग, घ, ङ एवं च तथा अनुलग्नक— अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर बाद हस्ताक्षर कर अपलोड कर बोली में भाग ले सकते हैं। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं अनुसूची क, ख, ग, घ, ङ एवं च तथा अनुलग्नक—अ, ब, स में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई-बोली में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।
17. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय उपापन समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
18. विभागीय उपापन समिति के निर्णयानुसार **“महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर”** किसी भी बोली अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेंगे।
19. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर होंगे।
20. अनुमोदित की गई दरें दिनांक **31.03.2022** तक के लिये विधिमान्य होगी एवं विभाग की आवश्यकता अनुसार, आगामी तीन माह तक अनुबंधित बोलीदाता को इन्हीं दरों पर आपूर्ति करनी होगी बशर्ते कि उक्त अवधि में वस्तुओं/सामग्री की कीमत कम नहीं हुई हो/गिरी न हों।

21. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध अपेक्षित पंजीयन प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा पत्र (राशि रुपये 12.00 लाख तक के टर्न ओवर हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) तथा राशि रुपये 12.00 लाख से अधिक के टर्न ओवर हेतु अनुज्ञा पत्र (लाईसेन्स) होना चाहिए। उपरोक्त पंजीयन प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र बोली प्रस्तुत करने की दिनांक को वैध होना चाहिये। यदि अनुबन्ध अवधि के दौरान वैधता समाप्त हो रही हो तो संबंधित फर्म को समय रहते इसका नवीनीकरण कराना होगा।
22. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान यथा आवश्यकतानुसार लागू होंगे।
23. खाद्य सामग्री की अनुमानित मात्रा में कमी/वृद्धि संभव है। वास्तविक मात्रा के अनुसार ही भुगतान बजट उपलब्धता पर किया जावेगा।
24. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, जो निर्धारित BOQ में दिया जावे। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नहीं किया जावे।
25. आइटम दर हेतु पृथक BOQ एवं डाईट दर हेतु पृथक BOQ बोलीदाता को भरने होंगे।
26. बोलीदाता सम्पूर्ण निविदा/बोली का ध्यानपूर्वक अध्ययन/पठन करने के बाद ही ई-बोली भरी जावे।
27. जिन कारागृहों के लिए डाईट दरें आमंत्रित की जा रही हैं, उनके संबंध में चाहे गये समस्त आइटमों की दरें बोलीदाता द्वारा भरी जाना अनिवार्य है। डाईट दर BOQ के अंतर्गत यदि किसी बोलीदाता द्वारा समस्त आइटमों हेतु बोली नहीं दिये जाने पर, उस/उन आइटम की प्राप्त न्यूनतम दर पर आपूर्ति दी जानी होगी अन्यथा उपापन समिति के द्वारा नियमानुसार बोली निरस्त कर दी जावेगी।
28. ई-बोली दो बिड़ प्रणाली के तहत आमंत्रित की जा रही है यथा तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली। प्रथमतः समस्त बोली की तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तों तथा योग्यता मापदण्डों के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य/सफल पाये गये बोलीदाताओं की वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।
29. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-
 1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर
दूरभाष नं. 0141-2601047 ई-मेल generaljhq@gmail.com
 2. अधीक्षक, भण्डार, मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141-2609202 ई-मेल generaljhq@gmail.com


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

अनुसूची "क"

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावे)

1.	कारागृह अनुसूची "ख" के अनुसार कारागृह समूह का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।	
2.	अनुसूची "ख" के अनुसार निविदा कारागृह की क्रम संख्या	
3.	बोलीदाता फर्म का नाम	
	पता	
	दूरभाष संख्या व ई-मेल का पता	
4.	फर्म की पंजीकरण क्रमांक जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति स्केन कर संलग्न की जावे)	
5.	बिक्रीकर बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण पत्र अथवा शपथ पत्र (संलग्न किया जावे)	
6.	बोली प्रतिभूति राशि का घोषणा-पत्र	
6.	बोली प्रक्रिया शुल्क का विवरण ई-ग्रास चालान की प्रति (संलग्न की जावे)	
7.	बोली प्रपत्र शुल्क का विवरण ई-ग्रास चालान की प्रति (संलग्न की जावे)	
8.	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त वैध पंजीयन प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र (लाइसेन्स) संख्या व दिनांक (छायाप्रति संलग्न की जावे)	

(उक्त सभी कॉलमों की पूर्ति आवश्यक रूप से हस्ताक्षर उपरान्त स्केन कर "तकनीकी निविदा" हेतु आवश्यक रूप से अपलोड करें)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म :

पता :-

कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

परिशिष्ट "अ"

(तकनीकी बोली प्रपत्र-क्वालीफाईंग बिड)

1. केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह..... जो कि निविदा की अनुसूची "ख" की निविदा क्रम संख्या पर अंकित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये खाद्य व्यवस्था हेतु दर अनुबंध बाबत ई-बोली।
2. ई-बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता, ई-मेल का पता एवं दूरभाष संख्या-----
3. संदर्भ: ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या: सामान्य/के.भ./क्रय/1/2021-22/दिनांक
4. मैं/हम महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई ई-बोली आमंत्रण सूचना संख्या सामान्य/के.भ./क्रय/1/2021-22/.....दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र/प्रारूपों (उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने परिशिष्ट "द" पर हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
5. जिन कारागृहों के लिए आईटमवार दरें आमंत्रित की जा रही हैं वहाँ कारागृह द्वारा मांग पत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में माल सुपुर्दगी करने एवं शेष अन्य कारागृहों तथा इनके साथ सम्मिलित इनके अधीनस्थ उप कारागृहों में, जहाँ डाइट दर आमंत्रित की जा रही है, वहाँ प्रतिदिन मांग पत्र प्राप्ति पर अगले दिन सामग्री की आपूर्ति संबंधित **समस्त कारागृहों पर FOR** करने बाबत सहमति देते हैं।
6. फर्म के स्वामियों/भागीदारों के नाम व स्थायी पते की सूची संलग्न है। (केवल फर्म की स्थिति में)।
7. अनुमोदित की गई दरें दिनांक 31.03.2022 तक के लिये विधिमान्य होगी एवं विभाग की आवश्यकता अनुसार, आगामी तीन माह तक अनुबंधित बोलीदाता को इन्हीं दरों पर आपूर्ति करनी होगी बशर्ते कि उक्त अवधि में वस्तुओं/सामग्री की कीमत कम नहीं हुई हों/गिरी न हों।
8. बोली प्रतिभूति राशि के पेटे घोषणा-पत्र संलग्न किया जाना है।
9. इसके साथ वांछित GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र एवं बिक्री कर/वैट पंजीयन एवं चुकता प्रमाण-पत्र अथवा बिक्रीकर बकाया नहीं होने संबंधी कोई प्रमाण अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत है।
10. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य पंजीयन प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा पत्र की प्रति संलग्न है।
11. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र (परिशिष्ट "द") भी संलग्न है।
12. अनुसूची "क" की पूर्ति कर इसके साथ संलग्न कर दी गई है।
13. सामग्री खाद्य मानकों के अनुरूप आपूर्ति करनी होगी। खाद्य सामग्री की जाँच विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी भी समय की जा सकेगी, सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर बोलीदाता की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जब्त की जाकर, बोलीदाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर क्रय कार्यवाही कर अंतर राशि उसके किसी भी जेल पर बकाया भुगतान में से समायोजित कर ली जावेगी एवं उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
14. बोली के साथ आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक खाद्य सामग्री के दो सैम्पल हस्ताक्षरशुदा कपड़े में सील कर प्रस्तुत किये जावे एवं फर्म एवं सैम्पल का नाम अंकित किया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट "ब"

(वित्तीय/मूल्य बोली प्रपत्र-प्राईस बिड "आइटम दर" वाले कारागृहों हेतु)

बोली आमंत्रण क्रमांक:

दिनांक:-

1. केन्द्रीय/जिला कारागृह/उप कारागृह _____ जो कि निविदा की अनुसूची "ख" की निविदा क्रम संख्या पर अंकित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बंदियों के लिये खाद्य व्यवस्था हेतु बोली।

2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता एवं दूरभाष संख्या
नाम _____ पता _____

दूरभाष संख्या _____ ई-मेल _____

3. संदर्भ:-ई-बोली आमंत्रण सूचना सामान्य/के.भ./क्रय/1/2021-22/ _____
दिनांक _____

(अ) आइटम दर के लिये।

(समस्त केन्द्रीय कारागृह, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास(दौसा) एवं जिला कारागृह, टोंक, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर के लिए)

विवरण	दर अंकों में (रु.में प्रति किलोग्राम /प्रति लीटर)	दर शब्दों में (रु. में प्रति किलोग्राम/ प्रति लीटर)
गेंहूँ (1482 मशीन क्लीन)	BOQ में दरें भरी जावें	
दाल: -		
(1) मूंग दाल छिलकादार (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)		
(2) उड़द दाल छिलकादार (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)		
(3) मोठ की दाल छिलकादार (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)		
(4) अरहर दाल (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)		
(5) चना की दाल (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)		
(6) मसूर दाल (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)		
तेल-खाद्य-सोयाबीन (चंबल/फोरच्यून/परम्परा) इत्यादि स्तरीय		
चीनी - दानेदार एम-31, इत्यादि स्तरीय		
गुड		
चाय-(टाटा/एवन/ताजा/लाल घोड़ा- काला घोड़ा, डबल डायमण्ड) इत्यादि स्तरीय		
नाश्ता सामग्री-		
(1) थूली (दलिया गेंहूँ) (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)		
(2) पोहा (टंच/गोविन्द/मोम्स च्वाईस/लहर) इत्यादि स्तरीय		
(3) चना साबुत (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)		
(4) मूंग साबुत (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)		
(5) काला चना साबुत (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)		
नमक-आयोडाइज्ड (टाटा/निरमा/सूर्या/भास्कर) इत्यादि स्तरीय		
हरी सब्जी- ऋतु वर्गीकरण अनुसार		

सब्जी सामग्री	BOQ में दरें भरी जावें
(1) लहसुन सूखा	
(2) जीरा (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)	
(3) राई (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)	
बेसन (कढ़ी हेतु) (लकड़ाजी/लक्ष्मी भोग) एगमार्क इत्यादि स्तरीय	
छाछ (कढ़ी हेतु)	
हरी मिर्च (नाश्ता छौक हेतु)	
प्याज (नाश्ता छौक हेतु)	
चटनी—(1) हरा धनिया	
(2) हरा पोदीना	
वनस्पति घी—(अशोका/स्कूटर/गगन) इत्यादि स्तरीय	
चावल साबुत परमल (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)	
खोपरा बुरादा	
साबुदाना	
खोपरा	
दूध (सरस/अमूल/लोट्स) थैली पैक इत्यादि स्तरीय	

- जिन कारागृहों पर दूध की आपूर्ति डेयरी द्वारा तय दरों पर की जाती है वहाँ दूध की दरें स्वीकृत नहीं की जायेगी। शेष अन्य कारागृहों पर जहाँ डेयरी उपलब्ध नहीं है वहाँ के लिए दूध की दरें स्वीकृत की जावेगी।
- उक्त दरें समस्त करों व अन्य व्ययों को शामिल करते हुये प्रस्तुत की जावे।
- दूध, छाछ एवं तेल की दरें “प्रति लीटर” में एवं अन्य सभी सामग्री की दरें “प्रति किलोग्राम” में मापी जायेगी।
- उक्त सामग्री में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। Food and Civil Supplies Department के द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की मिलावट या निम्न स्तर की सामग्री (adulteration) पाये जाने पर फर्म के विरुद्ध सर्वप्रथम टेण्डर निरस्त कर ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी।
- उपरोक्त समस्त खाद्य सामग्री में आवश्यकतानुसार मात्रा एवं वस्तु विशेष में परिवर्तन किया जा सकता है।
- आपूर्ति कर्ता या उसके प्रतिनिधि को कारागृह पर किसी अवांछित कार्यवाही में लिप्त पाये जाने अथवा आपूर्ति सामग्री में प्रतिबंधित वस्तु के पाये जाने पर उसे काली सूची (Black Listed) में डालने की कार्यवाही की जा सकती है तथा इस दुष्कृत्य के लिए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
- फर्म द्वारा राशन संबंधी किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री प्लास्टिक/पौलिथिन थैली में कारागृह के अन्दर नहीं भिजवाई जायेगी, (ब्रांड पैकेट के अतिरिक्त)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म

.....

वित्तीय/मूल्य बोली प्रपत्र-प्राईज बिड

परिशिष्ट "ब" डाइट दर वाले कारागृह

निविदा के अनुसार कारागृह का नाम

(निविदा प्रपत्र की अनुसूची "ख" के क्रमांकपर अंकित है।)

(जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है।)

(ब) डाइट दर

विवरण	इकाई	दर अंकों में रु.में	दर शब्दों में रु.में
श्रमिक/अश्रमिक डाइट मसाला(हल्दी,धनिया,लाल मिर्च रहित)	प्रति बंदी प्रतिदिन	BOQ में दरें भरी जावें	
दूध गर्म मय मीठा	प्रति लीटर		
स्पेशल डाइट	प्रति डाइट प्रति बंदी		
बच्चों की डाइट	प्रति डाइट प्रति बच्चा		

1. बोलीदाता को डाइट मूल्य बोली की समस्त डाइटों एवं दूध की दरें अंकित करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम श्रमिक/अश्रमिक डाइट दर वाले बोलीदाता को अन्य डाइटों/दूध गर्म मय मीठा हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
2. बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट "ब" (आईटम दर) में दर्शायी गई खाद्य सामग्री के स्पेसिफिकेशन/एगमार्क/अन्य विवरणानुसार डाइट दरों में भी खाद्य सामग्री आपूर्ति की जानी होगी।
3. डाइट दर अनुसूची "ग" व "च" में वर्णित डाइट स्केल के आधार पर निर्धारित की जावे एवं महिला बन्दियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए अनुसूची "ड" में वर्णित डाइट स्केल के आधार पर निर्धारित की जावें। डाइट में सुबह व शाम दोनों समय की चाय, नाश्ता भी शामिल है। डाइट दरें ईंधन रहित दी जानी है।
4. उक्त दरें समस्त करें व अन्य व्ययों को शामिल करते हुये प्रस्तुत की जावे।
5. अनुसूची "घ" के अनुसार हरी सब्जी के लिये वर्ष भर के लिये एक ही दर दी जावे।
6. विभाग न्यूनतम दर को अनुमोदित करने के लिये बाध्य नहीं होगा।
7. सशर्त दर या बोली को प्रथमदृष्ट्या रद्द कर दिया जावेगा।
8. प्रदाय किया जाने वाला सामान संबंधित जेल गोदाम पर नियत कमेटी से पारित कराकर देना होगा। खराब होने की स्थिति में नमूना भी लिया जा सकता है जिस पर बोलीदाता को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये व नमूने पर हस्ताक्षर भी करने होंगे।
9. जहां आईटम दर के आधार पर आपूर्ति दी जानी होगी वहां आपूर्ति लेने का समय कार्य दिवसों को प्रातः 11.00 बजे होगा। डाइट दर की स्थिति में कारागृह पर जेल नियमों के अनुसार आपूर्ति प्रतिदिन देनी होगी तथा जिस कारागृह हेतु मांग पत्र जारी किया गया है, उस संबंधित कारागृह पर ही आपूर्ति FOR करनी होगी। यदि उक्तानुसार सामग्री के प्रदाय हेतु तय समय में विलंब होता है तो प्रदायक को

सूचित किये बिना रिस्क परचेज की कार्यवाही की जा सकेगी तथा अधिक हुये व्यय को प्रदायक से वसूला जायेगा।

10. बन्दी राशन आपूर्ति निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ब्रॉण्डेड/एगमार्क की होगी। सामग्री आपूर्ति के समय उक्त ब्रॉण्डेड/एगमार्क सामग्री के डीलर/वितरक द्वारा प्रमाणीकरण **“कि उक्त ब्रॉण्डेड/एगमार्क सामग्री का विक्रय मेरे द्वारा किया गया है”** कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत बिलों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि ब्रॉण्डेड/एगमार्क सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
11. डाइट दर के आधार पर जिन कारागृहों एवं उसके साथ सम्मिलित अधीनस्थ कारागृहों पर आपूर्ति दी जानी है वहां प्रदायक को किसी भी प्रकार की स्टोर सुविधा नहीं दी जायेगी तथा कोई अतिरिक्त परिवहन लागत अथवा शुल्क देय नहीं होगा।
12. आपूर्ति कर्ता या उसके प्रतिनिधि को कारागृह पर किसी अवांछित कार्यवाही में लिप्त पाये जाने अथवा आपूर्ति सामग्री में प्रतिबंधित वस्तु के पाये जाने पर उसे काली सूची (Black Listed) में डालने की कार्यवाही की जा सकती है तथा इस दुष्कृत्य के लिए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
13. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानकीकरण अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006 fssai) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य अपेक्षित पंजीयन प्रमाण-पत्र/अनुज्ञा पत्र (राशि रुपये 12.00 लाख तक के टर्न ओवर हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र (Certificate of Registration) तथा राशि रुपये 12.00 लाख से अधिक के टर्न ओवर हेतु अनुज्ञा पत्र (लाईसेन्स) संख्या व दिनांक (छायाप्रति संलग्न है)।
14. फर्म द्वारा राशन संबंधी किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री प्लास्टिक/पौलिथिन थैली में कारागृह के अन्दर नहीं भिजवाई जायेगी, (ब्रांड पैकेट के अतिरिक्त)

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम फर्म

महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

परिशिष्ट-“स”

ई-बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्तें

नोट:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में वैबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. **बोली भरने की प्रक्रिया:-** बोली सूचना में दी गई मुख्य शर्तों में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है
2. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना “महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर” को लिखित में बोलीदाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं “महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर” को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।
3. **बिक्रीकर/जी.एस.टी. पंजीयन एवं बिक्रीकर ना बकाया प्रमाण-पत्र/शपथ पत्र :-**
(i) कोई भी बोलीदाता जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित बिक्रीकर/जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाएगा। प्रमाण-पत्र की प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा।
(ii) बोलीदाता को बिक्रीकर बकाया न होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा।
4. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप **परिशिष्ट “द”** को डाऊनलोड करने के बाद अपने हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ प्रस्तुत करें। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार बोली की मुख्य एवं सामान्य शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप **परिशिष्ट “द”** को स्कैन करके प्रस्तुत नहीं किया गया है तो बोली निरस्त कर दी जावेगी।
5. यदि कोई बोलीदाता किसी वित्तीय वर्ष की सप्लाई करने या आंशिक सप्लाई करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने के लिए विवर्जित किया जा सकता है।
6. **दरे:**
(i) बोली में दरे शब्दों एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावेंगी। इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नहीं होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
(ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-

- (क) ईकाई मूल्य (Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो ईकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा। अर्थात् ईकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में ईकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है, ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो।

ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अधीन न रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

- (iii) बोली में दरें समस्त प्रकार के कर एवं प्रभार यथा जी.एस.टी., परिवहन, पैकिंग चार्ज आदि आदि सम्मिलित करते हुये अंकित की जावे। अस्पष्ट वाक्य, जैसे "टैक्स पैड" "कर सहित" "एज एप्लीकेबल" का प्रयोग नहीं किया जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- (iv) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
- (v) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दी जावेगी।
- (vi) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त माल उच्च क्वालिटी का पाये जाने पर यथाशीघ्र बजट उपलब्धता पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नहीं की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।
- (vii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नहीं दी गई दरें अमान्य होंगी व बोली निरस्त की जा सकेगी।
- (viii) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- (ix) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (x) किसी आईटम की विभिन्न साईज है तो प्राईस बिड में सभी साईज की एक ही दर अंकित की जावे। यदि विभिन्न साईज की अलग-अलग दरें अंकित की जावेगी तो उसकी बोली अमान्य की जावेगी।
- (xi) सामग्री मांग पत्र अनुसार संबंधित कारागृहों एवं उनके अधीनस्थ कारागृहों पर FOR आपूर्ति करनी होगी, इसके लिए अतिरिक्त परिवहन लागत या शुल्क देय नहीं होगा।

7. बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन :-

- (i) राजस्थान के भीतर स्थित फर्मों को नियमानुसार क्रय अधिमानता दी जावेगी।
- (ii) न्यूनतम कीमत एवं सर्वाधिक लाभप्रद वाली बोली को न्यूनतम बोली (L-1) माना जावेगा।

8. **बातचीत (Negotiation) :-**

- (i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत (Negotiation) नहीं की जावेगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-
 - (क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (RingPrice) दी गई हो या
 - (ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में भारी अन्तर हो।
- (ii) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत (Negotiation) के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

9. **बोली की विधि मान्यता:-**

- दरों की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।
- 10. अनुमोदित सप्लायर के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी, मात्रा आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
 - 11. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।

12. **स्पेसिफिकेशन:-**

- (i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तों से संबंधित परिशिष्ट में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामले में जहाँ कोई स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- (ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी तथा बोलीदाताओं को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।
- (iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाताओं द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 योम के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूली जावेगी। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 योम पश्चात् बोलीदाताओं द्वारा विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

13. निरीक्षण एवं परीक्षण :-

- (i) (A) "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर" या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेगा तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाएगा, माल/आइटम सामग्री का निरीक्षण एवं जांच कर सकेगा।
- (ii) बोलीदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता देगा जहां सप्लाई होने वाले माल का निरीक्षण किया जा सके तथा उन व्यक्तियों के नाम व पते देगा जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे।
- (iii) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जावेगा तथा परीक्षण पर यदि सामान उच्च क्वालिटी के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हें स्वीकार किया जाएगा।
- (iv) परीक्षण प्रभार:- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जा सकेगा, उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेंगे। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर या क्वालिटी के अनुसार नहीं है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे।
- (v) निरीक्षण प्रभार:- विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी,, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहों में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी
- (vi) रद्द करना (Rejection):- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।
- (vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नहीं समझा जावे तो विभागीय क्रय समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
- (viii) आपूर्ति किया गया माल/आइटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

14. माल की सप्लाई :-

- (i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते

हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते हैं।

- (iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका मांग पत्र के अनुसार कारागृह एवं कारागृह के साथ सम्मिलित समूह कारागृह पर FOR दी जावेगी।

15. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

16. **सुपुर्दगी अवधि (Delivery Period)**

- (i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली आमंत्रण में अंकित परिशिष्ट "अ" की शर्त संख्या 5 के अनुसार सप्लाई करेगा।
- (ii) फर्म निर्धारित समयावधि में निर्धारित मात्रा के अनुसार आपूर्ति करने में असफल रहती है तो प्रकरण उपापन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। यदि फर्म निर्धारित समयावधि में आंशिक सामान सप्लाई नहीं करती है तथा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। गुणावगुण के आधार पर घटित बाधाओं से संतुष्ट होने पर उपापन संस्था द्वारा सप्लाई अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।

17. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्धि एवं पुनरादेश (Repeat Order)**

- (i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम अप्राप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावों या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (ii) अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (RepeatOrders), संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- (iii) यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

18. **संविदा के अधिनिर्णय (AwardofContract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन:-** सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी बोली (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

19. **बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि :-**

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया जावे अन्यथा निविदा बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।

20. **करार एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :-**

- (अ) बोली आमंत्रण में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में माल के प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण की रकम

की 2.5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में संबंधित प्रभारी, कारागृह पर जमा करानी होगी एवं 500 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र संबंधित कारागृह प्रभारी (अधीक्षक/उपाधीक्षक कारागृह) के साथ निष्पादित करना होगा। करार पत्र निर्धारित प्रारूप में नियत अवधि में निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है।

- (i) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
 - (ii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "संबंधित कारागृह प्रभारी" के नाम से निम्न में से किसी रूप में प्रस्तुत की जा सकेगी:-
 - (क) " ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा "
 - (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक,
 - (ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
 - (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियों। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।
 - (ङ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा एवं ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहत कर ली जायेगी।
 - (च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।
- नोट:-** अनुबंध पत्र के साथ एन.एस.सी./पासबुक/डिफेंस बचत पत्र/किसान विकास पत्र आदि Pledgeकी हुई प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (iii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि में कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा।
 - (क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आइटम की अंतिम सप्लाय या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर।
 - (ख) यदि माल की सप्लाय को सान्तर (Staggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाय या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर।
 - (iv) **कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):-** सुरक्षा राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जाएगा:-
 - (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो
 - (ग) जब बोलीदाता सप्लाय आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाय अवधि में माल की

सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो । सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

- (v) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counterfoil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।
- (vi) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे:-
 - (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति ।
 - (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष ।
 - (स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर ।
 - (द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र
- (vi) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाये ।

21. **भुगतान:-**

- (i) सप्लायर द्वारा सप्लाई किये गये माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा ।
- (ii) माल के भुगतान करने पर किये गये प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जावेगे ।
- (iii) विवादस्पद आइटम के संबंध में 10% से 25% तक राशि रोकी जाएगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा ।
- (iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाएंगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगे ।
- (v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा ।

(vi) **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-**

परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-

- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए - 2.5%
- (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक - 5%
किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए
- (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु - 7.5%
विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए - 10%
- (ङ) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा ।
- (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।
- (छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है । किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित

तारीख के बाद करेगा।

- (ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

नोट : प्रदायगी अवधि के अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्याह्न पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

22. **वसूलियाँ:**—परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
23. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।
24. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गये बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।
25. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली आमंत्रण में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
26. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
27. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किये हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
28. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही हैं वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।
29. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैद्य होने चाहिए।
30. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो पुनः वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा(निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप तथा बोनाफाईड
विनिर्माता/निर्माता/अधिकृत डीलर एवं सप्लायर)

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आइटम के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (सूक्ष्म/लघु)/अधिकृत डीलर/सदभावी सप्लायर हूँ/हैं।
2. मेरे द्वारा निविदा के साथ संलग्न समस्त निविदा शर्तों एवं निविदा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं ई तथा ई-बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं मुख्य शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगा/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरशः स्वीकार करते हैं तथा समस्त निविदा की शर्तों की पालना हेतु बाध्य है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तें स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप)

नाम

नाम फर्म

.....

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :
 - a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
 - d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of
 in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby
 declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DG & IG Prisons, Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary/Principle Secretary, Home Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
- (6) Fee for filing appeal
- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
 - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (7) Procedure for disposal of appeal
- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
 - (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
 - (i) hear all the parties to appeal present before him: and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
 - (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
 - (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
 - (i) Name of the appellant :
 - (ii) Official address, if any :
 - (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal
.....
.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer

.....
.....
.....

Place

Date

Appellant's Signature

कारागृहों की सूची

(अनुमानित श्रमिक एवं अश्रमिक बन्दी संख्या, समस्त भोजन सामग्रियों की अनुमानित कुल खरीद राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि) वर्ष 2021-22

निविदा क्रम संख्या	निविदा कारागृह का नाम (दर अनुबन्ध हेतु कारागृह समूह)	बन्दी संख्या	दर संविदा का प्रकार	समस्त सामग्रियों की अनुमानित कुल खरीद राशि रु.
1	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर (ब.संख्या 1027) महिला बन्दी सुधारगृह अजमेर (बं. संख्या 40) सहित	1067	आईटम दर	17525475
2	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर (बं. संख्या 691) महिला बन्दी सुधारगृह भरतपुर (बं. संख्या 115) सहित	806	आईटम दर	13238550
3	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर (ब.संख्या 948), जिला कारागृह, बीकानेर (ब.संख्या 432) एवं महिला बन्दी सुधारगृह बीकानेर (ब.संख्या 59) सहित	1439	आईटम दर	23635575
4	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर (ब.संख्या 1396) हेतु	1396	आईटम दर	22929300
5	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर (ब.संख्या 1450) महिला बन्दी सुधारगृह जोधपुर (ब. संख्या 74) सहित	1524	आईटम दर	25031700
6	केन्द्रीय कारागृह, कोटा (ब. संख्या 1373) महिला बन्दी सुधारगृह कोटा (ब. संख्या 28) सहित	1401	आईटम दर	23011425
7	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर (ब. संख्या 1132) महिला बन्दी सुधारगृह उदयपुर (ब. संख्या 51) सहित	1183	आईटम दर	19430775
8	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर हेतु	602	आईटम दर	9887850
9	केन्द्रीय कारागृह, अलवर हेतु	899	आईटम दर	14766075
10	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास, दौसा	406	आईटम दर	6668550
11	जिला कारागृह, झालावाड हेतु	447	आईटम दर	7341975
12	जिला कारागृह, टोंक हेतु	268	आईटम दर	4401900
13	जिला कारागृह, धोलपुर हेतु	331	आईटम दर	5436675
14	जिला कारागृह, जयपुर हेतु	442	आईटम दर	7259850
15	के.का. अजमेर के अधीनस्थ उप कारागृह, ब्यावर (ब. संख्या 104) हेतु	104	ड्राईट दर	1898000
16	के.का. भरतपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, बयाना (ब. संख्या 98) तथा डीग (ब.संख्या 202) हेतु	300	ड्राईट दर	5475000
17	के.का.बीकानेर के अधीनस्थ उप कारागृह, नोखा (ब. संख्या 36) हेतु	36	ड्राईट दर	657000
18	के.का. जयपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, कोटपुतली (ब.संख्या 127) तथा सांभरलेक (ब.संख्या 87) हेतु	214	ड्राईट दर	3905500
19	के.का.जोधपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, बिलाडा (ब. संख्या 63) तथा फलौदी (ब.संख्या 60) हेतु	123	ड्राईट दर	2244750
20	के.का. कोटा के अधीनस्थ उप कारागृह, रामगंजमण्डी (ब.संख्या 52) तथा सांगौद (ब.संख्या 39) हेतु	91	ड्राईट दर	1660750

21	के.का. उदयपुर के अधीनस्थ उप कारागृह, झाड़ौल(ब.संख्या 73),कानौड (ब.संख्या 18), कोटडा (ब.संख्या 145), मावली (ब.संख्या 20) तथा सलूमबर (ब.संख्या 58) हेतु	314	डाईट दर	5730500
22	के.का. श्रीगंगानगर के अधीनस्थ उप कारागृह, श्रीकरणपुर (ब.संख्या 87), अनुपगढ (ब.संख्या 241), सूरतगढ (ब.संख्या 133) तथा रायसिंहनगर (ब.संख्या 82) हेतु	543	डाईट दर	9909750
23	के.का. अलवर के अधीनस्थ उप कारागृह, बहरोड (ब.संख्या 71) एवं किशनगढवास (ब.संख्या 184) हेतु	255	डाईट दर	4653750
24	जि.का. झालावाड़ के अधीनस्थ उप कारागृह, भवानीमण्डी (ब.संख्या 44) तथा अकलेरा (ब.संख्या 0) हेतु	44	डाईट दर	803000
25	जि.का. टोंक के अधीनस्थ उप कारागृह, मालपुरा (ब.संख्या 57) हेतु	57	डाईट दर	1040250
26	जि.का.बांसवाडा (ब.संख्या 271) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, कुशलगढ (ब.संख्या 35) हेतु	306	डाईट दर	5584500
27	जि.का. बांरा (ब.संख्या 240) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छबडा (ब.संख्या 100) तथा उप कारागृह, अटरू (ब.संख्या 48) हेतु	388	डाईट दर	7081000
28	जि.का. बाडमेर (ब.संख्या 169) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, बालोतरा (ब.संख्या 79) हेतु	248	डाईट दर	4526000
29	जि.का. भीलवाडा (ब.संख्या 319) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, गंगापुर (ब.संख्या 38), जहाजपुर (ब.संख्या 18), माण्डलगढ (ब.संख्या 28), गुलाबपुरा (ब.संख्या 17) तथा शाहपुरा (ब.संख्या 25) हेतु	445	डाईट दर	8121250
30	जि.का. बून्दी (ब.संख्या 234) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नैनवा (ब.संख्या 12) हेतु	246	डाईट दर	4489500
31	जि.का. चित्तौडगढ (ब.संख्या 462) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, निम्बाहेड़ा (ब.संख्या 60), बैंगू (ब.संख्या 36) तथा कपासन (ब.संख्या 35) हेतु	593	डाईट दर	10822250
32	जि.का.चूरू (ब.संख्या 283) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, राजगढ(ब.संख्या 0)तथा रतनगढ (ब.संख्या 56) हेतु	339	डाईट दर	6186750
33	जिला कारागृह, दौसा (ब.संख्या 177) तथा उप कारागृह, बांदीकुई (ब.संख्या 43) हेतु	220	डाईट दर	4015000
34	जिला कारागृह,डूंगरपुर(ब.संख्या 133) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, सांगवाडा (ब.संख्या 86)हेतु	219	डाईट दर	3996750
35	जि.का.सवाईमाधोपुर (ब.संख्या 92) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, गंगापुरसिटी (ब.संख्या 54) हेतु	146	डाईट दर	2664500
36	जि.का.हनुमानगढ (ब.संख्या 462) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नोहर(ब.संख्या 85) एवं भादरा (ब.संख्या 24) हेतु	571	डाईट दर	10420750
37	जिला कारागृह,जैसलमेर(ब.संख्या 115) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, पोकरण (ब.संख्या 27) हेतु	142	डाईट दर	2591500

38	जिला कारागृह, जालौर (ब.संख्या 111) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीनमाल (ब.संख्या 77) तथा सांचौर (ब.संख्या 60) हेतु	248	डाईट दर	4526000
39	जिला कारागृह, झुन्झुनू (ब.संख्या 242) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, खेतडी (ब.संख्या 25) हेतु	267	डाईट दर	4872750
40	जिला कारागृह, करौली (ब.संख्या 144) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, हिण्डौनसिटी (ब.संख्या 65) हेतु	209	डाईट दर	3814250
41	जिला कारागृह, नागौर (ब.संख्या 125) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, डीडवाना (ब.संख्या 29), मेडतासिटी (ब.संख्या 169) तथा परबतसर (ब.संख्या 151) हेतु	474	डाईट दर	8650500
42	जिला कारागृह, पाली (ब.संख्या 98) एवं अधीनस्थ किशोर बन्दी सुधारगृह जैतारण (पाली) (ब.संख्या 01), उप कारागृह, जैतारण (ब.संख्या 94), बाली (ब.संख्या 91) तथा सोजतसिटी (ब.संख्या 40) हेतु	324	डाईट दर	5913000
43	जिला कारागृह, प्रतापगढ़ (ब.संख्या 346) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, छोटीसादडी (ब.संख्या 11) हेतु	357	डाईट दर	6515250
44	जिला कारागृह, राजसमंद (ब.संख्या 90) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, भीम (ब.संख्या 8)	98	डाईट दर	1788500
45	जिला कारागृह, सीकर (ब.संख्या 286) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, नीमकाथाना (ब.संख्या 64) एवं फतेहपुर (ब.संख्या 42) हेतु	392	डाईट दर	7154000
46	जिला कारागृह, सिरोही (ब.संख्या 285) एवं अधीनस्थ उप कारागृह, आबूरोड (ब.संख्या 68) हेतु	353	डाईट दर	6442250
47	उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर हेतु	49	डाईट दर	894250
48	महिला बन्दी सुधारगृह जयपुर हेतु	100	डाईट दर	1825000

नोट:-

1-कार्य निष्पादन प्रतिभूति (जमानता) राशि अनुमानित कुल खरीद राशि के 2.5 प्रतिशत राशि के बराबर होगी। 2-निविदा के साथ शामिल किये गये समस्त केन्द्रीय, जिला कारागृहों एवं अधीनस्थ उप कारागृहों पर कारागृह की मांग पत्रानुसार संबंधित कारागृह पर ही आपूर्ति देय होगी, जिसके लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क/परिवहन लागत देय नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

(बंदियों के लिये प्रतिदिन की डाइट स्केल) निर्धारित मात्रा (ग्राम में)

विवरण	श्रमिक	अश्रमिक
आटा- गेहूं का (1482) या		
चावल परमल (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)	600	550
दूध- चाय के लिये	400	350
दाल (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)/ कढ़ी (सप्ताह में एक दिन कढ़ी)	50	50
बेसन लकड़ा/ लक्ष्मी भोग (कढ़ी हेतु)	90	60
छाछ (कढ़ी हेतु)	20	20
जीरा (सोरटेक्स एण्ड क्लीन) (कढ़ी हेतु)	150 एमएल	150 एमएल
मीठी थूली/ पोहा/ अंकुरित चना/ मूंग/ नमकीन खींचड़ी/ काला चना (प्रतिदिन आइटम बदल बदल कर कोई एक आइटम)	1	1
मीठी थूली :- दलीया (गेहूं) (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)	60	60
वनस्पति घी (अशोका/ स्कूटर/ गगन/ डालडा इत्यादि स्तरीय	43	43
गुड़	2	2
पोहा :- पोहा (टंच/ गोविन्द/ मोम चोईस/ लहर) इत्यादि स्तरीय	15	15
प्याज	44	44
तेल (चम्बल/ फोरच्यून/ परम्परा) इत्यादि स्तरीय	5	5
नमक- आयोडाइज्ड (टाटा/ निरमा/ सूर्या/ भास्कर) इत्यादि स्तरीय	4	4
हल्दी सांगली	2	2
राई (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)	1	1
हरी मिर्च	2	2
नमकीन खिचड़ी :- चावल परमल (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)	2	2
दाल मूंग (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)	38	38
नमक- आयोडाइज्ड (टाटा/ निरमा/ सूर्या/ भास्कर) इत्यादि स्तरीय	18	18
हल्दी सांगली	1	1
तेल (चम्बल/ फोरच्यून/ परम्परा) इत्यादि स्तरीय	1	1
काला चना :- काला चना (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)	2	2
तेल (चम्बल/ फोरच्यून/ परम्परा) इत्यादि स्तरीय	51	51
नमक- आयोडाइज्ड (टाटा/ निरमा/ सूर्या/ भास्कर) इत्यादि स्तरीय	4	4
मिर्च देशी	2	2
हल्दी सांगली	1	1
जीरा (सोरटेक्स एण्ड क्लीन)	1	1
चीनी दानेदार एम-31	1	1
चाय (ब्रुक बाण्ड/ एवन/ ताजा/ लालघोडा/ कालाघोडा/ रेडलेवल) इत्यादि स्तरीय	40	40
नमक- आयोडाइज्ड (टाटा/ निरमा/ सूर्या/ भास्कर) इत्यादि स्तरीय	4	4
हरी सब्जी- ऋतु अनुसार	20	20
तेल- सब्जी हेतु (चम्बल/ फोरच्यून/ परम्परा) इत्यादि स्तरीय	200	200
मसाले- हल्दी साबुत, साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया, लहसुन सूखा।	20	20
चटनी- हरा धनिया/ पोदीना मसाले सहित	15	15
	10	10

नोट:-महानिदेशालय कारागार जयपुर के आदेश क्रमांक 50378-483 दिनांक 31.12.15 एवं 50541-145 दिनांक 05.01.16 के संशोधनानुसार एवं विभागीय आदेश 9579-9686 दिनांक 11.05.16 के अन्तर्गत श्रमिक/अश्रमिक बन्दियों को मिठाई (स्वीट आईटम) प्रत्येक रविवार को दोपहर के भोजन के साथ बदल-बदल कर दिये जाने है। जिसके लिए उक्त आदेश के अनुसार सामग्री की मात्रा निर्धारित की गई है, जो उक्त डाईट के साथ देनी होगी (संलग्न)।

अनुसूची "घ"

(ऋतु अनुसार प्रदाय की जाने वाली हरी सब्जियों का वर्गीकरण)

मार्च से जून	जुलाई से अक्टूबर	नवंबर से फरवरी
तर ककड़ी	भिंडी	पालक
खीरा	ग्वार फली	पत्ता गोबी
पालक	तुरई	फूल गोबी
काशीफल	काशीफल	मटर
टमाटर हरा व लाल	पालक	गाजर
लौकी	लौकी	मूली
टिंडसी	तर ककड़ी	अरबी
प्याज हरा व सूखा	ककड़ी/काचरी	सेम फली
आलू	टिंडसी	प्याज हरा/सूखा
कैरी	बैंगन	टमाटर हरा व लाल
चंदलाई	आलू	आलू
तुरई	अरबी	बैंगन
पत्ता गोबी	कैरी	भिंडी
बैंगन	शलगम	
हरा धनिया/ हरा पोदीना	हरा धनिया/ हरा पोदीना	हरा धनिया/ हरा पोदीना

नोट - मांग पत्र में ऋतु अनुसार वर्गीकृत सब्जियों में से तीन सब्जियों का नामोल्लेख किया जायेगा जिनमें में से प्रदायक द्वारा कोई एक सब्जी दी जा सकेगी।

अनुसूची "ड"

(महिला सुधारगृह में निरुद्ध महिला बन्धियों के साथ रहने वाले बच्चों की डाईट स्केल)

वस्तु का नाम	आयु	मात्रा
दूध	6 माह तक	600 ग्राम
	6 माह से 6 वर्ष तक	500 ग्राम
चीनी	6 माह से 3 वर्ष तक	25 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक	30 ग्राम
तेल	6 माह से 1 वर्ष तक	10 ग्राम
	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	20 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक	25 ग्राम
आटा, दलिया, खिंचडी, चावल	6 माह से 1 वर्ष तक	45 ग्राम
	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	100 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक	175 ग्राम
दाल	6 माह से 1 वर्ष तक	15 ग्राम
	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	30 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक	45 ग्राम
फल	6 माह से 6 वर्ष तक	100 ग्राम
जडदार सब्जी	6 माह से 3 वर्ष तक	50 ग्राम
	3 वर्ष से 6 वर्ष तक	100 ग्राम
सब्जी	6 माह से 1 वर्ष तक	25 ग्राम
	1 वर्ष से 6 वर्ष तक	50 ग्राम

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

क्रमांक: सामान्य / 10 / 64-65 / पार्ट-3 / 9579-9686

दिनांक: 11.05.2016

:: आदेश ::

डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (पीआईएल) संख्या 2808/2012 सूओ-मोटो में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2016 की पालना में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(38)गृह-12/कारा/2016 दिनांक 27.04.2016 के द्वारा राज्य की समस्त केन्द्रीय, जिला व उप कारागृह में निरुद्ध बंदियों को सप्ताह में एक बार (रविवार) को मिठाई (स्वीट आइटम) दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त के अनुक्रम में राज्य की समस्त कारागृहों में निरुद्ध श्रमिक/अश्रमिक बंदियों को निम्नांकित मिठाई (स्वीट आइटम) प्रत्येक रविवार को दोपहर के भोजन के साथ बदल-बदल कर दिये जाने के आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं:-

1. हलवा

क्र.सं.	नाम सामग्री	मात्रा ग्राम (प्रति बन्दी)
1.	आटा	75 ग्राम
2.	चीनी	60 ग्राम
3.	वनस्पति घी	55 ग्राम
4.	खोपरा बुरादा	05 ग्राम
5.	गैस	23 ग्राम

2. खीर

क्र.सं.	नाम सामग्री	मात्रा ग्राम (प्रति बन्दी)
1.	चावल	20 ग्राम
2.	चीनी	25 ग्राम
3.	दूध	150 ग्राम
4.	खोपरा	03 ग्राम
5.	साबुदाना	01 ग्राम
6.	गैस	23 ग्राम

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

-Sd-

(अजीत सिंह)

महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017

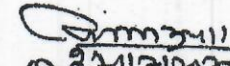
जयपुर, दिनांक : 23.12.2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी - एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

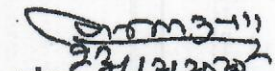
चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/- रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।


23/12/2020
संयुक्त शासन सचिव

Form of Bid-Securing Declaration

Date :

Bid No. ' Alternative
No.

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) If we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :-----

Name :-----

In the capacity of:-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:

Dated on day of

Corporate Seal -----

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the **Joint Venture** that is submitting the bid.]